क्रमांक सं. .... **मूल्य -10 रुपये**

प्रपत्र –एस–2(1)

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला (कांगड़ा) 176700

यदि फार्म वेब–साइट से डाऊनलोड किया गया है, या फिर डाऊनलोड किया गये फार्म की फोटोकापी की गई है तो कृपया निर्धारित फीस के साथ फार्म की कीमत के रुप में रु **10/–** अतिरिक्त भेजें अन्यथा फार्म अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

उत्तर पुस्तिका(ओं) का पुनर्निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन–पत्र

नोट :–

1. पुनर्निरीक्षण हेतु दर्शाये गये नियमों एवम् निदेर्शों को कृप्या ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. अधुरे/अस्पष्ट आवेदन पत्र के कारण पुनर्निक्षण में विलम्ब या पुनर्निरीक्षण न हो पाने के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
3. परीक्षार्थी आवेदन पत्र तथा संलग्न पुनर्निरीक्षण मेमों को स्पष्ट लिखावट में भरे तथा दो लिफाफों पर पत्राचार हेतु पूरा पता स्पश्ट शब्दों में लिखें।
4. परीक्षार्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि डाऊनलोड किये गए फार्म के साथ दो लिफाफे (साईज़ 25 x 11 सेमी) जिन पर परीक्षार्थी का पता लिखा हो संलग्न करें।

कक्षा का नाम व सत्र...अनुक्रमांक (रोल न.)...

परीक्षार्थी का नाम...पिता का नाम...

विषय (जिनमें परीक्षा दी है)	**प्राप्तांक**
1.	....
2	....
3.	....
4.	....
5.	....
6.	....
7.	....

परिणाम–उत्तीर्ण/अनुतीर्ण/कम्पार्टमैन्ट..

जिन विषयों और पर्चों में उत्तर–पुस्तिका(ओं) का पुनर्निरीक्षण करवाना चाहते हैं उनका विवरण :–

1. ....2. ....3. ....4. ....

5. ....6. ....7. ....

परीक्षार्थी के हस्तलेख (लिखावट का नमूना)...

पुनर्निरीक्षण हेतु वांछित शुल्क : रुपये ....

बोर्ड रसीद सं0/बैंक ड्राफ्ट सं0/आई.पी.ओ. सं0 ....दिनांक.....................

नोट :– पुनर्निरीक्षण शुल्क 150/- रुपये प्रति उत्तर–पुस्तिका - सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला (कांगड़ा)–176700 के नाम जमा करवाये जायें।

पत्राचार हेतु पता

नाम... पिता का नाम ....

गांव.. डा० ....ज़िला..

पिन कोड... दूरभाष (मोब०) न० ....

दिनांक...

परीक्षार्थी के पूरे हस्ताक्षर

प्रपत्र –एस–2(4)

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला – 176700

पुनर्निरीक्षण मेंमों

(परीक्षार्थी द्वारा भरे जाने हेतु)

1 कक्षा.. सत्र : मार्च/सितम्बर .... रोल नम्बर...

2 नाम... पिता का नाम...

3 जिन विषय/विषयों में पुनर्निरीक्षण करवाना है :–

1 ....

2 ....

3 ....

4 ....

5 ....

6...

7..

8...

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

यह मेंमों मांगी गई सूचना सहित अनुभाग अधिकारी (गोपनीय–2) को इस मेंमों के प्राप्त होने के 24 घण्टों के भीतर लौटाया जाये।

1. रोल नम्बर .... कक्षा .... सत्र ....

2. नाम...

3. परीक्षा केन्द्र का नाम ....

4.	विषय	प्राप्त अंक	उप–परीक्षक पहचान संख्या
1)	....	....	....
2)	....	....	....
3)	....	....	....
4)	....	....	....
5)	....	....	....
.6)	....	....	....
7)	....	....	....,
8)	....	....	....

अनुभाग अधिकारी
(परीक्षा शाखा)

पुनर्निरीक्षण नियम एवम् निर्देश
(कृप्या पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।)

1. ए) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्निरीक्षण हेतु निर्धारित विधान (रेग्युलेशन) निम्नलिखित हैं :–

बी) परीक्षार्थी 150/- रुपये प्रति उत्तर–पुस्तिका की दर से पुनर्निरीक्षण शुल्क का भुगतान करके, अपनी उत्तर–पुस्तिका(ओं) का पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित शर्तों के आधार पर करवा सकता है :–

i) पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तिथि के पश्चात 21 दिनों तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसके पश्चात् आगामी 7 दिनों तक 50/- रुपये प्रति उत्तर–पुस्तिका की दर से विलम्ब शुल्क सहित पुनर्निरीक्षण आवेदन–पत्र बोर्ड के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए इसके उपरान्त कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ii) पुनर्निरीक्षण में केवल यह ही देखा जाएगा कि उत्तर–पुस्तिका में हल किए गए सभी प्रश्नों के उत्तरों में दिए गए अंकों का योग सही किया गया है व उत्तर–पुस्तिका में परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए सभी प्रश्नों का परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(बी–2) यदि उत्तरपुस्तिका(ओं) के पुर्ननिरीक्षण में कोई त्रूटि पाई जाती है तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के विधान (रेग्युलेशन) 1970 के अध्याय IX की धारा 8 में दर्शाई गई शक्तियों के अधीन अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड ऐसे मामलों में परीक्षार्थी के परिणाम में परिवर्तन / संशोधन कर सकते हैं।

2. आवेदन पत्र में वांछित परीक्षार्थी का नाम, पता एवम् अन्य सूचनाएं परीक्षार्थी द्वारा ध्यानपूर्वक उसके निजी हस्तलेख (लिखाई) में भरी जानी चाहिए। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि होने के कारण पुनर्निरीक्षण में विलम्ब होता है तो कार्यालय इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

3. पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन पत्र वांछित शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में पहुंचने पर इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। परीक्षार्थी को पुरर्निरीक्षण परिणाम डाक द्वारा सूचित किया जाएगा।

4. बोर्ड के नियमों/विधान में आठवीं/दसवीं /विभागीय परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

5. बिना विलम्ब शुल्क सहित पुनर्निरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र के लिये 21 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किया गया है न कि उस दिन से जिस दिन परिणाम समाचार–पत्र/पत्रों में प्रकाशित हुआ होगा तथा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम गजट पर दी गई तिथि के पुनर्निरीक्षण हेतु अवधि की गणना की जाएगी। जिन परीक्षार्थियों के परिणाम परीक्षा शुल्क सम्बन्धी विवादों व पात्रता सम्बन्धी विवादों के कारण विलम्ब से घोषित होते हैं उनके लिये भी बोर्ड द्वारा परीक्षा के मुख्य रिजल्ट गजट में दी गई तिथि से ही गणना की जाएगी।

6. पुनर्निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क 150/- रुपये प्रति उत्तर–पुस्तिका का भुगतान इकट्ठा (एक मुश्त) किया जाना चाहिए न कि किश्तों में। अपूर्ण पुनर्निरीक्षण शुल्क जमा होने से व्यर्थ पत्राचार करना पड़ता है जिससे पुनर्निरीक्षण के निपटान में विलम्ब हो जाता है।

7. यदि मनीआर्डर द्वारा शुल्क भेजा गया है तो आवेदन–पत्र के साथ डाकघर की मूल रसीद सलंग्न की जाए।

8. किसी भी परिस्थिति में कोई भी उत्तर–पुस्तिका किसी भी परीक्षार्थी या उसके अभिभावक को नहीं दिखाई जाएगी।

9. ग्रेस अंक यदि देय हों तो नियमानुसार स्वतः ही परीक्षा परिणाम घोषित करने से पहले परीक्षार्थी को दिए जाते हैं, इस संदर्भ में कोई भी अनुरोध/पत्राचार मान्य नहीं होगा।

10. पुनर्निरीक्षण परिणाम की सूचना हेतु कोई समय निश्चित नहीं है क्योंकि पुनर्निरीक्षण वांछित उत्तर–पुस्तिका(ओं) की उपलब्धता एवम् पुनर्निरीक्षण कमेटी की आपत्तियों (Observation) के समाधान पर निर्भर करता है। परीक्षार्थी अपने पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर ही आगामी परीक्षा के लिये अपना आवेदन–पत्र भर सकता है, इसके लिये पुनर्निरीक्षण परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

11. जिन मामलों में पुनर्निरीक्षण हेतु उत्तर–पुस्तिकाऐं किसी कारणवश उपलब्ध न हो सकें उन मामलों में कुल जमा की गई राशि को बिना किसी कटौती के परीक्षार्थी को वापिस किया जाएगा।

12. पुनर्निरीक्षण करवाने वाले परीक्षार्थी को कोई भी पूर्वव्यापी लाभ (Retrospective Benefit) तथा किसी भी कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रवेश, किसी भी प्रवेश में बैठने हेतु पात्रता, छात्रवृत्ति/पदक इत्यादि का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. यदि किसी मामले में पुनर्निरीक्षण का परिणाम परीक्षार्थी द्वारा उत्तरोत्तर (subsequent) परीक्षा देने के पश्चात् प्राप्त होता है तो परीक्षार्थी को दोनों परिणाम में से जो भी अधिक लाभप्रद होगा वही घोषित/सूचित किया जाएगा।

14. पुनर्निरीक्षण सम्बन्धी विवादों में अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव